संख्या-144/2017/आर-2405/26-3-2017-4(358)/07टी0सी0-3

प्रेषक

मनोज सिंह

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2-.निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 सितम्बर 2017

विषयः-शैक्षिक सत्र-2017-18 में दशमोत्तर कक्षाओं (कक्षा 11 व 12 को छोड़कर) ग्रुप-1, 2, 3 व 4 के अन्तर्गत समाहित पाठ्यक्रमों में मास्टर डाटा बनाने एवं संस्था द्वारा डाटा लाक किये जाने हेतु संशोधित समय-सारिणी जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2585-86/स.क./शिक्षा-अ//2017-18 दिनांक-30-08-2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-120/2017/2054/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-02-08-2017 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु निर्गत की गयी समय-सारिणी में संशोधन करते हुये दशमोत्तर कक्षाओं (ग्रुप-1,2,3 व 4 के लिये) में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं हेतु निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्रसं	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की पूर्व समयावधि दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) ग्रुप-1, 2, 3 व 4 के पाठ्यक्रमो हेतु	संशोधित समयावधि दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) ग्रुप (1,2,3 व 4) के पाठ्यक्रमो हेतु
1	स्तर-1	प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला समाज कल्याणअधिकारी/ योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड	01 जून 2017 से 30 अगस्त 2017 तक	01 जून 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना		
2	स्तर-2	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।	31 अगस्त 2017 से 28 सितम्बर 2017 तक	12 सितम्बर 2017 से 06 अक्टूबर 2017 तक।
3	स्तर-2	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति(अन्य प्रदेशों में स्थित संस्थानों हेतु) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों की फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना।	28 सितम्बर 2017 से 03 नवम्बर 2017 तक	06 अक्टूबर 2017 से 07 नवम्बर 2017 तक।

2- शासनादेश संख्या-120/2017/आर-2054/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।। दिनांक-02-08-2017 द्वारा निर्गत समय-सारिणी के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2017-18 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-144/2017/आर-2405(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, नियोजन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5-निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6-निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7-कुल सचिव, अब्दुल कलाम, तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9-निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।

10-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।